ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

# भारत में उच्च शिक्षाः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

# Higher Education In India: In Historical Perspective

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 27/11/2020, Date of Publication: 28/11/2020

**राजेश शर्मा,**
सह आचार्य,
आर्थिक प्रशासन–वित्तीय प्रबन्ध विभाग,
राजकीय कन्या स्नात. महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर,
राजस्थान, भारत

**सारांश**

भारत में उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए समय–समय पर शिक्षा के उदेश्यों पर भी दृष्टिपात करना उचित होगा। भारत में शिक्षा के उदेश्य प्रत्येग युग में अलग–अलग रहे हैं। जब से मानव सभ्यता के सूर्य का उदय हुआ है तभी से भारत अपनी शिक्षा तथा दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह शिक्षा के उदेश्यों का ही चमत्कार है कि भारतीय संस्कृति ने संसार का सदैव पथ–प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है। शताब्दियों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत की शिक्षा न तो इसकी संस्कृति के अनुरूप रही और ना ही इसका कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा। 1947 में देश मे स्वतंत्र हुआ इसके पश्चात् हमारी जनतांत्रिक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्ण आयोग, मा.शि. आयोग 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, कोठारी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व नवीन शिक्षा नीति 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय–समय पर सही दिशा देने की गम्भीर कोशिश की तथा वर्तमान में केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से लागू कर दी है। यह शिक्षा नीति भारत के दर्शन, संस्कृति, धर्म एवं आवश्यकता के अनुरूप है जो बौद्धिक परिवर्तन का आधार बनेगी तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। नई शिक्षा नीति शिक्षार्थी केन्द्रित, जिज्ञासा, खोज, अनुभव एवं संवाद के आधार पर संचालित है। इस शिक्षा नीति की व्यवस्थाओं में समय–समय पर सरकार को सुझाव भी दिये जा सकेंगे।

To understand the historical perspective of higher education in India, it would be appropriate to look at the objectives of education from time to time. The objectives of education in India have varied in the Pratyuga era. Ever since the rise of the sun of human civilization, India has been famous for its education and philosophy. It is a miracle of the objectives of education that Indian culture has always guided the world and is still alive. India's education neither conformed to its culture nor did it have any national outlook due to being held in shackles of freedom for centuries. After the country became independent in 1947, after this, our democratic government in the field of education, Radhakrishna Commission, Hon. Through the Commission 1953, University Grants Commission 1956, Kothari Education Commission 1964, National Education Policy 1968 and New Education Policy 1986 etc., serious efforts were made to give right direction to Indian education system from time to time and presently new education policy by Central Government 29 Has been implemented from July 2020. This education policy is in accordance with India's philosophy, culture, religion and need which will form the basis of intellectual change and will be the all-round development of the nation. The new education policy is based on learner centricity, curiosity, discovery, experience and communication. In the arrangements of this education policy, suggestions can also be made to the government from time to time.

**मुख्य शब्द :** भारत में उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।

Higher Education In India, Historical Development Of Higher Education, Historical Perspective Of Higher Education.

**प्रस्तावना**

शिक्षा व्यक्ति के आन्तरिक सामर्थ्य एवं उसके व्यक्तित्व का विकास करने का जरिया है जिससे वह समाज में जिम्मेदार एवं परिपक्व नागरिक की भूमिका निर्वहन के लिए सक्षम बनता है। सम्यक ज्ञान एवं आचरण, कौशल एवं दक्षता एवं पठन–पाठन इसके महत्वपूर्ण तत्व है। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा

समाज में अनवरत जारी रहने वाली उद्देश्य परक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक एवं वैचारिक क्षमताओं, ज्ञान एवं कौशल का विस्तार किया जाकर उसे एक शिष्ट गरिमापूर्ण एवं योग्य व्यक्ति बनाया जाता है जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा से लिया जाता है।

प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की चाह रही है, 'साः विद्या या विमुक्तये' कालान्तर में शिक्षा और उसके उद्देश्य भी बदलते गये। शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास का शाक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय सम्पन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

भारत में शिक्षा के महत्व को प्राचीनकाल से ही स्वीकार किया जा चुका है एवं वर्तमान में भी यह मानवमात्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य प्राचीन काल से लेकर मध्य काल एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं इसके उद्देश्यों में हुए परिवर्तनों पर दृष्टिपात करते हुए भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं सरकार की भूमिका का मूल्यांकन करना है।

व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के मुख्यरूप से दो रूप हैं –

1. औपचारिक
2. अनौपचारिक

स्तर के आधार पर यह त्रिस्तरीय मानी जाती है –

1. प्रारम्भिक
2. माध्यमिक–उच्चमाध्यमिक
3. उच्च शिक्षा

प्रस्तुत आलेख चूंकि उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के अर्थ को समझना उचित होगा।

**उच्च शिक्षा**

उच्च शिक्षा से आशय सामान्य रूप से दी जाने वाली शिक्षा से परे किसी विषय–विशेष अथवा विशेष विषयों में गहन शिक्षा से है। विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय एवं प्रौद्योगिक संस्थान उच्च शिक्षा के केन्द्र माने जाते है। यह शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विपरित ऐच्छिक होती है इस शिक्षा में एक निर्धारित पाठ्यक्रम, अवधि तथा औपचारिक मूल्यांकन होता है जिसमें पूर्णता के पश्चात् डिग्री प्रदान की जाती है। भारत में उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार करने से पूर्व प्राचीन वैश्विक परिदृश्य पर भी शिक्षा के दृष्टिकोण से विचार करना समीचीन होगा।

**वैश्विक परिदृश्य**

यूरोप में मिस्त्र की सभ्यता प्राचीनतम मानी जाती है किन्तु वहॉ की उच्च शिक्षाप्रणाली का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। बाबुल, असुरिया के निवासियों तथा हिब्रू और फीनीसी लोगों में राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और भूगोल की उच्च शिक्षा गिने–चुने लोगों को ही दी जाती थी। यूनान मे सौदर्यशास्त्र, व्याकरण, काव्य, भाषा, शैली, अलंकारशास्त्र, वत्तृत्वकला, संगीत, गणित, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। स्पार्ता के लोगों को केवल युद्ध की शिक्षा ही मिली। एथेंस ही यूनानी उच्च शिक्षा का विद्यानगर था जहॉ सुकरात, जेनोफेन, अरस्तू जैसे विद्वान शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक विद्यमान थें। समय के साथ उच्च शिक्षा के अनेक शिक्षा के अनेक विद्यालय भी वहॉ स्थापित हुए। रोम साम्राज्य का प्रभाव भी यूनानी शिक्षा पर दिखाई दिया।

यूरोप के ईसाई मठों में पहले धर्मशिक्षा और प्रार्थना के साथ पढना, लिखना, गाना, पूजा करना और गणित की शिक्षा ही दी जाती थीं किंतु इसके पश्चात वहॉ लेटिन व्याकरण, ज्यामिति, ज्योतिष और संगीत सहित कुछ अन्य विषय भी पढाये जाते थें। इस प्रकार यूरोप में शिक्षा के प्रारम्भिक विकास ने कालांतर में विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया।

**भारतीय ऐतिहासिक परिदृश्य**

भारत में उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए समय–समय पर शिक्षा के उदेश्यों पर भी दृष्टिपात करना उचित होगा। भारत में शिक्षा के उदेश्य प्रत्येग युग में अलग–अलग रहे हैं। जब से मानव सभ्यता के सूर्य का उदय हुआ है तभी से भारत अपनी शिक्षा तथा दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह शिक्षा के उदेश्यों का ही चमत्कार है कि भारतीय संस्कृति ने संसार का सदैव पथ–प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है।

**प्राचीन काल**

इस काल में पवित्रता, जीवन की सद्भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कुशलता तथा सुख में वृद्धि एवं संस्कृति का संरक्षण तथा विस्तार इत्यादि जीवन के लक्ष्य थें। प्राचीन युग की शिक्षा के उदेश्यों पर प्रकाश डालने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्राचीनकाल में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा के प्रमुख उदेश्य थे तथा इन्हीं के अनुरूप शिक्षण–कार्य होता था। तत्कालीन आचार्यों के घोर परिश्रमों का ही फल है कि हमारा वैदिक कालीन सम्पूर्ण साहित्य आज भी सुरक्षित है।

प्राचीन भारत की शिक्षा आध्यात्म परक थी। धर्म के आदर्श से प्रेरित यह आत्मसाक्षातकार एवं मुक्ति का साधन मानी जाती थी। भारत की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व में पुरातन मानी जाती है। डॉ. अल्टेकर का मानना है कि भारत में वैदिक युग से ही यह धारणा रही है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य का मार्ग आलोकित करती है। इसके कारण प्राचीन भारत में शिक्षा को व्यापक महत्व दिया गया । इस युग में यह माना जाता था कि जिस प्रकार प्रकाश तिमिर को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति की सभी भ्रांतियों एवं सन्देहों को दूर करने का साधन है। शिक्षा जीवन की यथार्थता का बोध कराती है साथ ही व्यक्ति को इतना सामर्थ्यवान बनाती है कि वह जीवन की बाधाओं को लाघंकर अन्त में जीवन के चरम लक्ष्य–मोक्ष को प्राप्त कर सकें।

ऋग्वेद प्राचीन भारत की प्रारंभिक शिक्षा का दर्पण है। इसके पाठ्यक्रमों में वेद, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद एवं ज्योतिष प्रमुख थें। विस्तृत पाठ्यक्रम के रूप में वेदों एवं वेदांगों के अतिरिक्त चिकित्सा शास्त्र, साहित्य एवं दर्शन इत्यादि सम्मिलित थे। विद्या अध्ययन

के लिए गुरूकुलों की व्यवस्था थी। 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात् शिष्य को स्नातक माना जाता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी। आचार्य शिष्यगणों की योग्यता का मूल्यांकन स्वयं ही कर लेते थें। शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य हस्तक्षेप भी नहीं था। काशी, तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, वलभी, ओदंतुपरी, जगद्दल, नदिया, मिथिला, प्रयाग एवं अयोध्या आदि शिक्षा के केन्द्र थे। दक्षिण भारत में एन्नारियम, सलौत्गि, तिरूमुक्कुदल, मलकपुरम तिरूवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। प्राचीन शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे।

**मध्यकाल**

मध्ययुग की शिक्षा का अर्थ इस्लामी अथवा मुस्लिम शिक्षा से है। इस्लाम का प्रसार, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार, इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण, नैतिकता का विकास, भौतिक सुखों की प्राप्ति, शरियत का प्रसार एवं चरित्र निर्माण इस काल के लक्ष्य थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। अरबी और फारसी का प्रभाव शासन व्यवस्था में होने के कारण इन्हीं भाषाओं का प्रसार हुआ। इस्लाम के संरक्षण और प्रसार के लिए मस्जिदों, मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी। मतकब प्रारम्भिक शिक्षा के केन्द्र होते थे और मदरसें उच्च शिक्षा के। इस काल में भी धार्मिक शिक्षा की ही प्रधानता थी। इस शिक्षा के साथ–साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्क शास्त्र, गणित एवं कानून इत्यादि का भी अध्ययन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। गरीब व साधनहीन छात्रों की छात्रवृत्ति मिलती थी। दिल्ली, आगरा बीदर, जौनपुर, मालवा मुस्लिम शिक्षा के केन्द्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथों की रचना और उनका पठन–पाठन बराबर होता रहा।

**आधुनिक काल**

यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारकों एवं व्यापारियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। मद्रास से शुरू होकर इनका कार्य क्षेत्र बंग भूमि तक व्याप्त हो गया। इनके द्वारा स्थापित किए गए विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ–साथ अन्य विषयों के रूप में इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित तथा साहित्य संबंधी विषयों का अध्यापन करवाया जाता था। इस काल में शिक्षा का स्वरूप औपचारिक होने के साथ–साथ समय एवं सारणीबद्ध भी होने लगा था। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की औपचारिक प्रणाली भी व्यवहार में प्रयुक्त होने लगी थी। शिक्षा के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की यह गतिविधियां सन् 1750 के आस–पास तक रही परन्तु बाद में विस्तार में गतिरोध के भय से शिक्षा के क्षेत्र में शिथिलता होने लगी। चूंकि कालान्तर में इस कम्पनी का स्वरूप राजनैतिक हो गया था। इस कारण इसने स्वयं के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1780 कलकता में मदरसा कॉलेज व 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोले। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजो के राज्यों के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था अतः उनकी आवश्यकताओं व उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था थी। शासन में अंग्रेजी के बढते प्रभाव के कारण भारतीयों का झुकाव भी अंग्रेजी विद्यालयों की तरफ बढा। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ–साथ इंजिनियरिंग शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कानूनी शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस होने पर मेडिकल इंजिनियरिग और लॉ कॉलेजो की स्थापना होने लगी।

इस काल में महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेजों में मैकाले का घोषणा पत्र 1835, वुड्स का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 सम्मिलित है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के कारण शिक्षा की प्रगति में बाधा पडी। अंग्रेजी काल में उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। 1857 में कलकत्ता, मुम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुये। बाद में प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु हण्टर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कार्य किया गया।

सन् 1894 में भारतीयों राजाओं में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित, पिछडी जाति के लोगों के लिए विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ किया। बाद में इन वर्गों के लिये विशेष रूप से खोले गये विद्यालयों को सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सुलभ किया गया।

1901 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता मे शिमला सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र के 152 प्रस्तावों स्वीकृत किया गया। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जिसने पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किये। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। 1905 में नेशनल कॉलेज कलकता स्थापित हुआ तथा बंगाल टेक्नीकल इंसटिट्यूट की स्थापना भी हुई।

1911 से 1913 की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पवित्तनों की परिकल्पना की गई, परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की घोषणा से कुछ विशेष नही हो सका। युद्ध की समाप्ति पर कलकता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई जिसने शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा संबंधी प्रशासन से संबंधित अनेक सुझाव दिये। ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी दौरान हुई। 1916 तक भारत में 5 विश्वविद्यालय थे इनमें 7 नये विश्वविद्यालयों की अभिवृद्धि हुई। असहयोग आन्दोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति मे वृद्धि हुई तथा अनेक राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कुल मिलाकर स्वतंत्रता वर्ष 1947 तक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन एवं परिवर्धन होते रहे।

**वर्तमान भारत में उच्च शिक्षा**

1947 में देश मे स्वतंत्र हुआ इसके पश्चात् हमारी जनतांत्रिक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्ण आयोग, मा.शि. आयोग 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 कोठारी शिक्षा आयोग 1964 राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 1968 व नवीन शिक्षा नीति 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय–समय पर सही दिशा देने की गम्भीर कोशिश की तथा वर्तमान में केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से लागू कर दी है। यह शिक्षा नीति भारत के दर्शन, संस्कृति, धर्म एवं आवश्यकता के अनुरूप है जो बौद्धिक परिवर्तन का आधार बनेगी तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। नई शिक्षा नीति शिक्षार्थी केन्द्रित, जिज्ञासा, खोज, अनुभव एवं संवाद के आधार पर संचालित है। इस शिक्षा नीति की व्यवस्थाओं में समय–समय पर सरकार को सुझाव भी दिये जा सकेंगे।

**कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य**

1. उत्पादन में वृद्धि हेतु
2. सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास
3. जनतंत्र का सुदृढीकरण
4. देश का आधुनिकीकरण
5. सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुख रूप से विवके जागृत करना, नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व प्रयत्न, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था एवं विस्तार के साथ–साथ जीवन को सार्थकता प्रदान करना भी है।

**सरकार की भूमिका**

भारत में 21वीं शताब्दी के कौशल सम्पन्न समाज तथा उच्च शिक्षित समाज निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिक्षा ही है जो देश में मानव संसाधनों की गुणवता को भी निर्धारित करती है। ''शिक्षा आत्मविश्वास की जननी है, आत्मविश्वास उम्मीद का जनक है, उम्मीद शक्ति की जननी है।'' चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का यह कथन शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करता है।

भारत का जनंसख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है यह अपने आकार विविधताओं एवं जटिलताओं के लिए जाना जाता है जिनमें भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व विकासात्मक प्रमुख है। ये सभी कारक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते जिनमें रोजगार, श्रम शाक्ति, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। यदि देश एक शरीर है तो शिक्षा इसका हदय है, शिक्षा राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती है तथा इसके विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सुविचारित व सुनियोजित शिक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सांस्कृतिक सम्पन्नता, तकनीकी–उन्मुखी सकरात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि के साथ–साथ सरकार की क्षमता, कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। शिक्षा व्यक्ति के लिए नवीन अवसरों नयी आशाओं तथा नवीन मूल्यों के द्वारा खोलती है। शिक्षा क्षमताओं को शक्ति प्रदान करती है तथा वचनबद्धता को विकसित करती है। इसका कारण वर्तमान में प्रत्येक सरकार शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है। इस कारण शिक्षा का समुचित विकास सरकार की प्राथमिकता है तथा समय–समय पर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बजट प्रावधान बढाये है।

यदि हम 2015–16 के बजट का अवलोकन करें लो शिक्षा को अर्थवस्था के नो महत्वपूर्ण स्तंभो में से एक माना गया है। परन्तु बजट आवंटन थी दृष्टि से उतना महत्व नहीं दिया गया।

वर्ष 2015 में शिक्षा क्षेत्र का कुल बजट प्रावधान 68963 करोड रू. था, जिसमें से उच्च शिक्षा का हिस्सा 26855 करोड रूपये था जबकि वर्ष 2016 में शिक्षा का कुल बजट 72394 करोड रूपये था जिसमें उच्च शिक्षा व्यय 28840 करोड था जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक था।

वर्ष 2017–18 में शिक्षा बजट 79686 करोड रूपये था जिसमें से 33330 करोड रू. उच्च शिक्षा का हिस्सा हैं। वर्ष 2019 में शिक्षा का कुल बजट 95000 करोड़ रूपयें जबकि 2020 में 100000 करोड़ रूपयें रखा गया है।

शिक्षा बजट का विश्लेषण करने पर शिक्षा व्यय में हुई वृद्धि स्वागत योग्य है, परन्तु मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान में रखे तो शिक्षा को आवंटित किया गया बजट कोठारी कमीशन द्वारा अनुशंसित 6 प्रतिशत की तुलना से कम है। यह लगभग 3 से 4 प्रतिशत तक रहा है।

वित्तमंत्री महोदय के अपने बजट भाषण में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यू.जी.सी. के माध्यम से सुधारों की बात कही है। श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं को प्रशासनिक व अकादमिक स्वायत्तता देने की बात कही है। इस संबंध में ''नेक मूल्यांकन के आधार पर दी जाने वाली रेंक को भी ध्यान में रखा जावेगौ।

**भारत में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति (31.03.2019)**

| क्र. सं. | संस्थानों के प्रकार | संख्या | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय विश्वविद्यालय | 51 | 5.60 |
| 2 | राज्य विश्वविद्यालय | 397 | 43.58 |
| 3 | राज्य निजी विश्वविद्यालय | 334 | 36.66 |
| 4 | राज्य विधान द्वारा स्थापित संस्था | 03 | 0.33 |
| 5 | डीम्ड विश्वविद्यालय | 126 | 13.83 |
| | कुल | 911 | 100 |

**(स्त्रौत : यू.जी.सी. उच्च शिक्षा प्रतिवेदन 2019)**

| क्र.सं. | स्तर | पुरूष | महिला | कुल | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी.एच.डी. | 95043 | 74127 | 169170 | 0.45 |
| 2 | एम.फिल. | 11623 | 19069 | 30692 | 0.08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | स्नातकोत्तर | 1761330 | 2281192 | 4042522 | 10.81 |
| 4 | स्नातक | 15203346 | 14625729 | 29829075 | 79.76 |
| 5 | अधि स्नातक डिप्लोमा | 121555 | 103156 | 224711 | 0.60 |
| 6 | डिप्लोमा | 1803208 | 896187 | 2699395 | 7.22 |
| 7 | सर्टिफिकेट | 75127 | 87570 | 162697 | 0.44 |
| 8 | एकीकृत | 138656 | 102470 | 241126 | 0.64 |
| | कुल | 19209888 | 18189500 | 37399388 | 100.00 |

**(स्त्रौत : यू.जी.सी. उच्च शिक्षा प्रतिवेदन 2019)**

स्वतंत्रता के समय से तुलना की जाये तो उस समय देश में 20 विश्वविद्यालय एवं 500 महाविद्यालय थे जिनमें 2.1 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत थे। वर्तमान में डिग्री प्रदान करने वाले कुल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 52.35 गुणा (1047) हो चुकी है तथा महाविद्यालयों के संदर्भ में बढ़कर 83.87 गुणा (41935) हो चुकी है तथा छात्र नामांकन बढ़कर 178.09 (37399388) हो चुका है।

## निष्कर्ष

अन्त में हमें यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान एवं कौशल से परिपूर्ण हमारी बढ़ती युवा श्रम शक्ति ही हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ स्तम्भ है। इस युवा श्रम शाक्ति के लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें शैक्षणिक सुधारों की आवश्यकता है साथ ही उत्पादन के नये साधनों के रूप में ज्ञान, कौशल और तकनीकी को स्वीकार करना आवश्यक है जो अर्थव्यवस्था में साधनों का कुशलतम दृष्टि से प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। समावेशी विकास के लिए हमें नॉलेज इकोनॉमि के रूप में रूपान्तरित होना आवश्यक है। हमें शिक्षा व्यवस्था को सस्टेनेबल एवं विश्व मानदण्डों के अनुरूप बनाना होगा इसके लिये निम्नांकित तीन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है :–

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : जिसमें आधारभूत संरचना निर्माण, शिक्षक एवं प्रत्यायन आवश्यक हैं
2. शिक्षा की वहनीयता : जिसमें इस बात को निश्चित करना होगा कि कोई गरीब एवं योग्य छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अतिव्यवसायीकरण दृष्टिकोण को छोडना होगा।
3. विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने के लिए निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को एक–दूसरे के साथ सहयोग करते हुए शिक्षा के स्तर को बढावा होगा इसके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठयक्रमों को लगातार अद्यतन करना होगा।

यह सब अल्प समय में होने वाला कार्य नहीं है। कला–कौशल बल से सम्पन्न, सूचना एवं संचार प्राद्योगिकी से युक्त युवा शक्ति एवं विकसित पाठ्यक्रम जो उद्योगों के अनुकूल होने के साथ–साथ गुणवता की दृष्टि से विश्वस्तरीय हो, भारत का सपना है तभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन का बिन्दु मानी जायेगी। भारत की नवीनतम शिक्षा नीति 2020 काफी हद तक इन लक्ष्यों को पूरा कर पायेगी ऐसा विश्वास है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956*
2. *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – जेनसिस 16 मई 2016*
3. *इन्ट्रोडक्शन टू दा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948–49, 16 मई 2016*
4. *केन्द्रीय बजट 2020*
5. *डोक्यूमेन्टस् ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020*
6. *यूजीसी लिस्ट ऑफ इन्सटिटूयशन ऑफ हायर एजुकेशन 2019*